22/11/17 पत्रावली पेश हुई। वकील पदाकारान उपस्थित नहीं। मूल वाद अदम पैरवी आज हजरी में खारिज हो चुका है। अब इस प्रार्थना पत्र के चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 265/14 खारिज किया जाता है। पत्रावली कानून मुताबिक होकर अन्यत्र रखने का है।

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner